ऑन लाईन नं.GCMS2023/23

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 11/2023

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री गौरव मुजाल पुत्र श्री जोगिन्द्र कुमार —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
फर्म:— मै0 नरेश मसाला सप्लाइयर कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
की धारा 26(2)(ii)/51 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 17.05.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक निदेशालय के आदेश कमांकः—खाद्य सुरक्षा/ निदे0/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.12.2022 को दोपहर 2.00 पी.एम. पर **मैसर्स नरेश मसाला** सप्लाइयर कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता श्री गौरव मुंजाल पुत्र श्री जोगिन्द्र कुमार को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **धनिया पाउडर** के बारे में जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे पोली पेक सील्ड 500 ग्राम वजनी करीब 60 नग धनिया पाउडर के आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी धनिया **पाउडर में** मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **धनिया पाउडर** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता व गवाहन के व मैने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **धनिया पाउडर** 500 ग्राम X 4= 2 किलोग्राम (चार मूल सील्ड पैकेट) विकेता से खरीदकर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा धनिया पाउडर का नगद भुगतान 320/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गौरव मुंजाल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री गौरव मुंजाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/23

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500 ग्राम X 4= 2 किलोग्राम (चार मूल सील्ड पैकेट) पाउडर को बराबर भागो में बांटकर लिया। 4 मूल शील्ड पैकेटो पर लेबल तैयार कर थे और लेबलो पर डी.ओ.श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1602 दर्ज किया प्रत्येक पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर करवाये। चारों भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर स्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न0 के–1602 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक ई मे गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी ा। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस र करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारो नमूना भागो के पेपर पर गवाहान हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो ूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

मौका पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को ढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री गौरव मुंजाल एवं गवाहान ने ी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। दो फार्म स.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1085/एक्ट/2022/1085 दिनांक 22.12.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1602 **Dhania Powder sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गौरव मुन्जाल पुत्र श्री जोगिन्द्र कुमार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 नरेश मसाला सप्लाइयर कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा **sub-standard Food Dhania Powder** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त संख्या की तरफ से अधिवक्ता श्री नवनीत कटारिया ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 2 के वाक्यांत आंशिक रूप से स्वीकार है। एफ एस ओ द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विकेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। मिन जबावदाता की उक्त पता पर कोई दुकान स्थित नहीं है यह परिसर इण्डस्ट्रीज ऐरिया के अधीन है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1602 लेते समय फार्म नं. 5ए में "**उक्त निर्माण इकाई पर आमजन के बेचान हेतु इकाई गौदाम पर एक प्लास्टिक कटटे में रखे 40 के.जी. धनिया पाउडर को वास्ते जांच 2 के जी खरीद कर लिया।**"लिखा गया है जबकि उक्त मद में मिन जवाबदाता की दुकान पर रखे धनिया पाउडर का होना बताया है साथ ही दुकान पर पोली पेक 500 ग्राम वजनी करीब 60 नग धनिया पाउडर के आमजन के बेचान वास्ते बताया अंकित करते हुए उक्त परिवाद पेश किया गया है जो कि फर्द रिपोर्ट एवं फार्म स0 5ए के तथ्यो के अनुसार भिन्न है। उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये नमूना से भिन्न होने के कारण वाद निरस्तणीय है।
3. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 03 के कथन अस्वीकार हे। उक्त मदानुसार 500 ग्राम गुणा 4, 2 किलोग्रम (चार मुल सील्ड पैकेट) खरीद कर लिया। विक्रेता को नगद भुगतान 320/– रूपये तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि एफएसओ द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो फर्द रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कीमत रूपये 240/– नकद भुगतान करना बताया गया है इसके अतिरिक्त जो कैशमीमो/विक्रय बिल पेश किया गया है उसमें नकद भगतान राशि रूपये तीन सौ रूपये अंकित किया गया है जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर भी है। उक्त मद के अनुसार लिया गया सैम्पल मूल सील्ड पैकेट के रूप में लिया गया जबकि फर्द रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कट्टे में आमजन के विक्रय हेतु रखे धनिया पाउडर अर्थात खुले (लूज) धनिया पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया गया था जिससे भी यह साबित होता है। कि उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल के विरूद्व नही है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 4 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फार्म स0 5 ए आवेदक एफएसओ जीत सिंह यादव द्वारा भरा गया था जिस पर मिन जवाबदाता सहित गवाहान एवं आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा संलगन परिवाद पेश किया गया है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 5 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। आवेदक एफएसओ जीत सिंह यादव द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना स0 के–1602 मिन जवाबदाता के परिसर से लिया गया जो कि प्लास्टिक के कट्टे में रखे 40 किलो धनिया पाउडर से लिया गया था जबकि उक्त मदानुसार 500 ग्राम गुणा 4, 02 किलोग्राम (चार मूल सील्ड पैकेट) खरीद कर लिया। 4 मूल शील्ड पैकेटो पर लेबल तैयार कर चिपकाये आदि तथ्य अंकित कर बाद प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

किया गया है जबकि मिन जवाबदाता से लूज धनिया पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया गया था न कि पैकिंग का। उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृश्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद की अंतिम पंक्ति में स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करे कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है। आवेदक से उक्त नमूनीकरण के दौरान डी ओ श्रीगंगानगर के पास जमा पार्ट 4 के नमूने को श्रीमान न्यायालय में मंगवाकर साक्ष्य के रूप में रिकार्ड पर लिया जाकर तथ्यो की सच्चाई का पता किया जा सकता है।

6. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 6 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफ.एस.ओ. जीत सिंह यादव द्वारा भरा गया था जिस पर मिन जवाबदाता सहित गवाहान एवं आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा संलग्न परिवाद पेश किया गया है। उक्त मद में स्वय आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करे कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है।
7. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 7 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) द्वारा नमूना सख्या के–1602 मिन जवाबदाता से लिया गया था जिसे अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर में दिनांक 14.12.2022 को जमा करवाया गया था जिसकी रसीद संलगन परिवाद पेश है। जबकि एफएसएसए के नियमानुसार तुरन्त अगले दिवस उक्त नमूने के भाग को जन विश्लेषक के पास जमा करवाया जाना चाहिये था। एफएसओ ने पांच दिन तक उक्त नमूना अपने कब्जे में रखा जो कि विधि विरूद्व है। उक्त तथ्य निराधार व झुठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथत दृश्टया ही निरस्तणीय है।
8. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 8 आंशिक रूप से स्वीकार है यह कि जन विश्लेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravene Regulation 2.9.7.2 of FSS Regulation 2011 के अंतर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेशक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या L.S./1085/ACT/2022/1085 दिनांक 22.12.2022 में उक्त नमूना को लूज सैम्पल लिख कर दर्शाया गया है। जिससे भी साबित होता है कि एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य नियमानुसार नही किया गया है। मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल की जांच लूज सैम्पल की है जबकि प्रस्तुत परिवाद पैकेट बन्द धनिया पाउडर के विरूद्व पेश किया गया है उक्त तथ्यो के विरोधाभास के कारण उक्त आधार पर प्रस्तुत परिवाद पैकेट बन्द धनिया पाउडर के विरूद्व पेश किया गया है उक्त तथ्यो के विरोधाभास के कारण उक्त आधार पर प्रस्तुत वाद मिन जवाबदाता के विरूद्व विधि विरूद्व पेश किया गया है जो प्रथम दृश्टया की पोषणीय नही होने के कारण निरस्तणीय है।
9. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव मे अस्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र की मद स0 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 11 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार हे। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नही किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व तथ्यो पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नही होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतिरिक्त कथनः–

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओ के अभाव में निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधार में नमूना लिया गया एवं नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नही किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एकरूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना स0 के–1602 लेते समय एफएसएसए के नियमो की पालना नही की गई हे। न्याय दृष्टान्त एफएसी 207, 2014 (1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नही करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ व जन विश्लेषक को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
4. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 एफएसी 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है।
5. यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यो के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नही होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नही की गई है। उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अमानक नही माना जा सकता है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नही किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार आधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्व तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना के–1602 में किसी भी प्रकार से कोई अवेहलना नही की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नही है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नही होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि एफ एस ओ जीतसिंह यादव द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1602 लेते समय फार्म नं. 5ए में "**उक्त निर्माण इकाई पर आमजन के बेचान हेतु इकाई गौदाम पर एक प्लास्टिक कटटे में रखे 40 के.जी. धनिया पाउडर को वास्ते जांच 2 के जी खरीद कर लिया।**"लिखा गया है जबकि उक्त मद में मिन जवाबदाता की दुकान पर रखे धनिया पाउडर का होना बताया है साथ ही दुकान पर पोली पेक 500 ग्राम वजनी करीब 60 नग धनिया पाउडर के आमजन के बेचान वास्ते बताया अंकित करते हुए उक्त परिवाद पेश किया गया है जो कि फर्द रिपोर्ट एवं फार्म स0 5ए के तथ्यो के अनुसार भिन्न है। एफ एस ओ जीतसिंह यादव द्वारा 500 ग्राम गुणा 4, 2 किलोग्रम (चार मुल सील्ड पैकेट) खरीद करना बताया जाकर विक्रेता को नगद भुगतान 320/– रूपये तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि एफएसओ द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो फर्द रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कीमत रूपये 240/– नकद भुगतान करना बताया गया है इसके अतिरिक्त जो कैशमीमो/विक्रय बिल पेश किया गया है उसमें नकद भगतान राशि रूपये 300/– रूपये अंकित किया गया है जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर भी है। एफएसओ जीतसिंह यादव द्वारा सैम्पल मूल सील्ड पैकेट के रूप में लिया जाना बताया है जबकि फर्द रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कट्टे में आमजन के विक्रय हेतु रखे धनिया पाउडर अर्थात खुले (लूज) धनिया पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया गया था जिससे भी यह प्रमाणित होता है। कि उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल के विरूद्व नही है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है। अतः वाद सव्यय निरस्त फरमायें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया धनिया पाउडर का सैम्पल के–1602 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1085/एक्ट/2022/1085 दिनांक 22.12.2022 द्वारा (Sub-standard Food) होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 को जिस दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया वहां पर अप्रार्थी की कोई दुकान स्थित नहीं है उक्त सैम्पल इण्डस्ट्रीज ऐरिया के अधीन से लिया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन निराधार है क्योंकि फार्म नम्बर 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त सैम्पल मैसर्स नरेश मसाला सप्लायर्स कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल स्टेट, श्रीगंगानगर से लिया गया है एंव फार्म नं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में विक्रेता का नाम व पता अंकित किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि फर्द रिपोर्ट एवं फार्म स0 5ए के तथ्यो के अनुसार भिन्न है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त परिवाद में नमूना संख्या के–1602 पेश करते समय कारोबारकर्ता से धनिया पाउडर 2 केजी खरीद किया जिसका 320/– नगद भुगतान कर परिवाद पेश किया गया है जबकि एफएसओ द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो फर्द रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कीमत रूपये 240/–नकद भुगतान करना बताया गया है इसके अतिरिक्त जो कैशमीमो/विक्रय बिल पेश किया गया है उसमें नकद भगतान राशि रूपये तीन सौ रूपये अंकित किया गया है जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर भी है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन सही है कि परिवाद जो पेश किया गया है वह धनिया पाउडर 2 केजी खरीदा जिसकी कीमत 320/–रूपये नगद भुगतान की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

गई परन्तु फर्द रिपोर्ट मे कीमत 240/–रूपये एवं कैशमीमो/विकय बिल में कीमत 300/–अंकित की गई है। उक्त राशि में भिन्नता भूलवंश/सहवंश से होनी अंकित हो गई है। उक्त मद के अनुसार लिया गया सैम्पल मूल सील्ड पैकेट के रूप में लिया गया जबकि फर्द रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कट्टे में आमजन के विक्रय हेतु रखे धनिया पाउडर अर्थात खुले (लूज) धनिया पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया गया था। फर्द रिपोर्ट अनुसार धनिया पाउडर (लूज) कट्टे से ही खरीद किया गया था जिसकी पैकिंग 4 पोलीपैक 500 ग्राम में की जाकर ही लिया गया था जिसका विवरण परिवाद में दिया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता से लिया गया धनिया पाउडर का सैम्पल के–1602 जांच रिपोर्ट क्रमांकः– एलएस/1085/एक्ट/2022/1085 दिनांक 22.12.2022 द्वारा (Sub-standard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अभियुक्त गौरव मुन्जाल पुत्र श्री जोगिन्द्र कुमार, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक –पर (Sub-standard Food) के तहत धनिया पाउडर का विकय करने पर धारा 26(2)(ii)/51 के तहत 50,000/–रूपये (अखरे रूपये पंचास हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त धनिया पाउडर का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में धनिया पाउडर के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)